संख्या–159/21–1–2010–सा–6/2005

प्रेषक,

अशोक घोष,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त निगमों/परिषदों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश।

भाषा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 21 जुलाई, 2010

विषय– सरकारी कार्यों में चिन्हित प्रयोजनों हेतु द्वितीय राजभाषा उर्दू का प्रयोग।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0–44391/1998 में पारित निर्णय दिनांक 24–8–2004 द्वारा महत्वपूर्ण सरकारी नियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं का उर्दू में प्रकाशन तथा सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों एवं परिपत्रों को उर्दू में जारी किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में शासनादेश सं0–388/21–1–2005–सा 06/2005 दिनांक 6 अक्टूबर, 2005 के द्वारा महत्वपूर्ण नियमों/विनियमों/सूचनाओं/सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों/परिपत्रों/ महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों को उर्दू में जारी करने का अनुरोध किया गया था।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 6 अक्टूबर, 2005(प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में अभी तक पर्याप्त प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ताकि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जा सकें।

भवदीय,

(अशोक घोष)
प्रमुख सचिव।